

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद  
बनाम

अप्रार्थी :- श्री पप्पूराम पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी पीपलाद  
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 26/19

निर्णय दिनांक:-09.09.2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद पीपलाद के ख.न 1424 रकवा 0.06 है भूमि किस्म गै.मु.गौचर में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी आज दिनांक 09.09.2019 को अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पटवारी रिपोर्टानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 14 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकवा 0.06 है. भूमि के 0.84 रूपये लगान का 50 गुणा 42/- अक्षरे बयालीस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एवं भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का पीपलाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।



तहसीलदार परबतसर